

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे II लिंक न. 3331/254

दिनांक :- 14/05/2018

कार्यालय आदेश

25/5/18

श्री /श्रीमती / सुश्री अशोक कुमार अग्रवाल [लिंक नं. 3331] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय संयुक्त आयुक्त, श्रम विभाग, बीकानेर - [15457] जिनकी जन्म तिथि 30/11/1963 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 09/07/2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 09/07/2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री अशोक कुमार अग्रवाल की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 22/10/1988 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार अग्रवाल के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे II लिंक न. 3331/254

दिनांक :- 14/05/2018

25/5/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. संयुक्त आयुक्त, श्रम विभाग, बीकानेर
4. कोषाधिकारी बीकानेर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री अशोक कुमार अग्रवाल [3331] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय संयुक्त आयुक्त, श्रम विभाग, बीकानेर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / एसीआर आता

(अरविन्द दीवान)
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II))